राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–265/2012/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ए, अजमेर। ...अपीलार्थी

बनाम

मै. अरोडा प्रोडक्ट्स,
पुष्कर रोड, अजमेर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.03.2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 92/10–11/वैट/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 01.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए, अजमेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2007–08 हेतु पारित आदेश दिनांक 25.03.2010 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रू. 8730/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार कर प्रतिप्रेषित की है जिसके विरूद्व यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

2. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र वैट–10 प्रथम 5 दिन, द्वितीय 9 दिन, तृतीय 1 दिन तथा चतुर्थ 1 दिन देरी से पेश करने धारा–58 के तहत शास्ति रू 5/– प्रतिदिन के हिसाब से क्रमशः रू 25/– व 45/– तथा तृतीय व चतुर्थ त्रैमासिक देरी 1 दिन को माफ किया गया, इस प्रकार कुल शास्ति रू 70/–आरोपित की गई तथा अपीलार्थी के द्वारा additional excise duty दिनांक 03.04.07 को ही समाप्त हुई, के पश्चात् 12.50 प्रतिशत से कर दिनांक 04.04.07 से देय है बाद समायोजन अस्वीकार कर संशोधन की कार्यवाही की जाने पर अपीलार्थी द्वारा देय कर रू 6,017/– कम जमा माना गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना किये जाने पर धारा–55 के तहत ब्याज रू 1,685/– आरोपित किया तथा अपीलार्थी का माह मार्च का नियमित कर 8 दिन विलम्ब से जमा होने पर धारा–55 के तहत ब्याज रू 115/– आरोपित किया। अपीलार्थी की कर मुक्त बिक्री को अस्वीकार कर योग्य बिक्री रू

लगातार.....2

1,71,420/– पर 4 प्रतिशत से कर रू 6,860/– आरोपित किया। इस प्रकार कुल विवादित मांग (70+6860+1800) रू 8,730/– को अपील में विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि रू 140/– को इस आधार पर यथावत रखा है कि वेट अधिनियम की धारा 24 में दिनांक 06.02.09 से संशोधन हो चुका है जो दिनांक 01.04.06 से लागू माना गया है जिसमें 12 माह के भीतर नोटिस जारी करने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। घोषणा पत्र "सी" फार्म के अभाव में अन्तर कर राशि रू. 6860/– तथा दिनांक 01.04.07 से 03.06.07 तक तम्बाकू पर करारोपण के संबंध में प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि व्यवसायी को बकाया घोषणा प्रपत्र 'सी' फार्म प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही कर तद्नुसार अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किया जावे। इस प्रकार प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

3. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य